170
20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत बीस रुपये
5रु. भारत पाँच रुपये 5रु. भारत पाँच रुपये 5रु. भारत पाँच रुपये 5रु. पाँच रुपये Rs.5 FIVE RUPEES
CANCELLED CANCELLED

समक्ष : न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल, ग्वालियर कैम्प

जबलपुर म0प्र0

रा/निगरानी/नरसिंहपुर/भू.रा/2017/3004

राजस्व पुनरीक्षण प्र0क0- /2017

पुनरीक्षणकर्ता : गोविंद पटेल अधिवक्ता पिता एम.एल. पटेल, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी–एम/5, स्नेह नगर, लेबर चौक, श्री मार्बल के सामने, गढ़ा रोड़, जबलपुर तहसील व जिला–जबलपुर (म0प्र0)

(सिंह शब्द नाम के आगे से हटाया गया है क्योंकि आवेदक के नाम के आगे सिंह शब्द नहीं है)

राजीव वर्मा
प्रस्तुत
रीडर
16 JUN 2017
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग
355

विरुद्ध

उत्तरवादी :

1–श्री मुन्नीलाल पटेल, आयु 98 वर्ष आत्मज स्व0चुन्नीलाल पटेल (कुर्मी)

2– मिठ्ठूलाल, आयु 64 वर्ष, आत्मज श्री मुन्नीलाल पटेल (कुर्मी)

दोनों निवासी–ग्राम बरोदा, तहसील गोटेगॉव, जिला–नरसिंहपुर (म0प्र0)

3–श्रीमती त्रिवेणी बाई पुत्री श्री मुन्नीलाल पटेल (कुर्मी) पत्नि बालकृष्ण पटेल, निवासी–ग्राम चपौर, तहसील व थाना–पाटन, जिला–जबलपुर (म0प्र0)

4–श्रीमती गायत्री बाई पुत्री श्री मुन्नीलाल पटेल (कुर्मी) पत्नि श्री जे.पी.रख्या, निवासी–कृषि कालोनी–2, क्वाटर नंबर एच. –1, कृषि अनुसंधान केन्द्र, भोपाल रोड़, जिला–सागर (म0प्र0)

5–श्रीमती प्रेमबतीबाई पुत्री श्री मुन्नीलाल पटेल (कुर्मी) पत्नि श्री मनोहर पटैल (कुर्मी) निवासी–ग्राम--बरेली, तहसील व थाना–गोटेगॉव, जिला–नरसिंहपुर (म0प्र0)

SURENDRA KUMAR KHARE
S K KHARE
OATH COMMISSIONER
17 JUN 2017

अनावेदक क0–3,4,5 निचली अदालत में एकपक्षीय थे।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

एक/निगरानी/नरसिंपुर/भूरा/2017/3004

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
25 .2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री राजीव वर्मा उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोटेगांव जितला नरसिंहपुर के प्रकरण कमांक 36/अ-27/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2017 के विरूद्व म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:- धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन- (ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिरिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला नरसिंहपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29/4/19 **कलेक्टर जिला नरसिंहपुर**	